न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं0 13/2024 (GCMS 2024/43)

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंट
1. श्री हीरसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी सोनू तहसील रामगढ़ जिला जैसलमेर		राज. सरकार जरिये तहसीलदार, रामगढ़।

उपस्थित :

1. श्री भगवानसिंह शेखावत अधिवक्ता अपीलांट (अनुपस्थित)
2. श्री भीखदान, ना0 तहसीलदार (पैरोकार राज) रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 16.07.2025**

अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेंट के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा 91 के प्रकरण सं0 22/2024 अनवान राज्य सरकार जरिये पटवारी सोनू बनाम हीरसिंह में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा ग्राम सोनू के कमशः खसरा नम्बर 378 में रकबा 08.00 बीघा, 703/387 में रकवा 19.00 बीघा, खसरा नम्बर 701/377 में रकबा 27.00 बीघा, खसरा नम्बर 700/377 में रकबा 13.00 बीघा, कुल रकबा 67.00 बीघा किस्म बारानी भूमि पर पुश्तैनी कब्जा काश्त होने व दावा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैसलमेर में दावा संख्या 163/2023 विचाराधीन है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा अनाधिकृत कब्जा काश्त बताकर बेदखली व वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि 288/—रूपये के दण्ड के साथ 3 माह के साधारण कारावास से दण्डित किये जाने के आदेश दिनाँक 27.08.2024 को पारित किया गया।

अपीलार्थी द्वारा अपील में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी सानू द्वारा पेश रिपोर्ट पर पूर्ण विश्वास कर एक तरफा कार्यवाही करते हुए अपीलांट को बिना सूनवाई का अवसर दिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली व वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि 288/— रूपये के दण्ड के साथ 3 माह के साधारण कारावारा से दण्डित किये जाने के आदेश दिनाँक 27.08.2024 को पारित किया गया अलोच्य आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलांट को सूनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया जबकि अपीलांट एक भूमिहीन काश्तकार है तथा उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में वाद दावा संख्या 163/2023 हीरसिंह बनाम सरकार विचाराधीन है। उक्त भूमि पर अपीलांट के पूर्वजो व अपीलांट का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है व काबिज है। अपीलांट को बिना सूनवाई का मौका दिये, बिना नोटिस दिये एक तरफा आदेश पारित किया गया। अपीलांट ग्राम सोनू तहसील रामगढ़ जिला जैसलमेर का निवासी है तथा खसरा नम्बर 378 में रकवा 08:00 बीघा, 703/387 में रकबा 19.00 बीधा, खसरा नम्बर 701/377 में रकबा 27.00 बीघा, खसरा नम्बर 700/377 में रकबा 13.00 बीघा, कुल रकबा 67.00 बीघा किरम बारानी भूमि पर काबिज काश्त था तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में कब्जा काश्त होने का नोटिस नहीं दिया गया। यदि नोटिस दिया जाता तो अपीलांट मान्य न्यायालय में उपस्थित होकर अपने साक्ष्य, सबूत व अन्य दस्तावेज पेश कर साबित करता। अपीलांट का उक्त भूमि पर पुश्तैनी कब्जा काश्त हैं, जहाँ पीढ़ी—दर—पीढ़ी पशुपालन, रहवास के लिए कच्चा झौपड़ा बना हैं व उक्त कृषि भूमि पर लाखो रूपये खर्च कर काश्त योग्य

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

बनाया हैं। अपीलांट पीढियों से उक्त स्थान पर पशुपालन व काश्त करके अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण कर रही है। उक्त कृषि भूमि के लगती हुई अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है जिसकी पेमाईश नहीं करवाई हुई है तथा उक्त कृषि भूमि में अपीलांट की कच्ची व पक्की ढाणी बनी हुई हैं और सपरिवार निवासरत है एवं तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर बेदखल करने व 3 माह का साधारण कारावास से दण्डित करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अपीलांट उक्त कृषि भूमि पर लगान, तवान व जुर्माना राजकोष में जमा करवाता आ रहा है। अतः उक्त आधारों पर अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

अपीलांट अधिवक्ता को 03 बार आवाजें लगाए जाने के उपरांत भी अनुपस्थित। रेस्पोडेण्ट की ओर से पैरोकार राज (नायब तहसीलदार) उपस्थित। पैरोकार राज द्वारा रेस्पोडेण्ट तहसीलदार रामगढ़ के पत्रांक 753 दिनांक 16.07.2025 की प्रति प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटाकर राजहक में लिया जा चुका है।

रेस्पोडेण्ट की सुनवाई एवं अपीलांट के अपील में वर्णित तथ्यों का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपीलांट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज.भू.राजस्व अधिनियम के तहत उसे प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट का वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार कब्जा नहीं होने के तथ्य रेस्पोडेन्ट के द्वारा स्वीकार्य है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित 03 माह के सिविल कारावास की सजा को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माना राशि तत्काल राजकोष में जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में राजकीय सिवायचक भूमि पर किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नहीं करें। पक्षकार अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करें।

आदेश आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर